संख्या:-54/2020/209आ0/23-5-20-15(भवन)/2020

प्रेषक,

डॉ0 चन्द्र भूषण,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(ग्रामीण सड़क),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक : 16 सितम्बर, 2020**

विषय: वित्तीय वर्ष 2020-21 में "राजभवन लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य" मद के अन्तर्गत राजभवन लखनऊ परिसर के कुल 08 कार्यों हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित पत्रों के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में "राजभवन लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य" मद के अन्तर्गत राजभवन लखनऊ परिसर के कुल 08 कार्यों हेतु प्राप्त कुल आगणन लागत रू0 629.18 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में स्तम्भ-4 में उल्लिखित कार्यों हेतु उसके सम्मुख स्तम्भ-6 में अंकित कुल धनराशि **रू0 84.71 लाख(रू0 चौरासी लाख इकहत्तर हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र0 सं0	मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ का पत्रांक व दिनांक	जनपद	कार्य का नाम	आगणन की लागत	निर्गत की जाने वाली धनराशि (रू0 लाख में।)
1	2	3	4	5	6
1	327बीजीबी/109बीजीबी/राजभवन(भारित)/2020-21, दिनांक 14.08.2020	लखनऊ	राजभवन परिसर स्थित जी0एस0 आवास के जीर्णोद्धार के अन्तर्गत भूतल के ऊपर तल पर कार्यालय कक्षों का निर्माण, आन्तरिक वाह्य प्लास्टर एवं पेन्टिंग व अन्य कार्य।	37.66	08.66
2	329बीजीबी/109बीजीबी/राजभवन(भारित)/2020-21, दिनांक 14.08.2020	लखनऊ	राजभवन परिसर स्थित जी0एस0 आवास के जीर्णोद्धार के अन्तर्गत भूतल पर कार्यालय कक्षों का निर्माण, आन्तरिक वाह्य प्लास्टर एवं पेन्टिंग व अन्य कार्य।	42.15	09.15
3	तदैव	लखनऊ	राजभवन परिसर स्थित जी0एस0 आवास के जीर्णोद्धार के अन्तर्गत भूतल के ऊपर तल पर एच0ई0 कार्यालय कक्षों का आन्तरिक सौन्दर्यीकरण एवं फर्नीचर का कार्य।	72.33	12.33
4	तदैव	लखनऊ	राजभवन परिसर स्थित जी0एस0 आवास के जीर्णोद्धार के अन्तर्गत प्रथम तल पर कार्यालय कक्षों का आन्तरिक सौन्दर्यीकरण एवं फर्नीचर का कार्य।	61.34	10.34
5	326बीजीबी/109बीजीबी/राजभवन(भारित)/2020-21, दिनांक 14.08.2020	लखनऊ	राजभवन परिसर स्थित जी0एस0 आवास के जीर्णोद्धार के अन्तर्गत भूतल पर कार्यालय कक्षों का आन्तरिक सौन्दर्यीकरण एवं फर्नीचर का कार्य।	59.38	10.38
6	तदैव	लखनऊ	राजभवन परिसर स्थित जी0एस0 आवास के जीर्णोद्धार के अन्तर्गत प्रथम तल पर	48.96	08.96

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

			कार्यालय कक्षों का निर्माण, आन्तरिक एवं वाहय दीवारों का प्लास्टर, पेन्टिंग व अन्य कार्य।		
7	तदैव	लखनऊ	राजभवन परिसर अन्तर्गत जीर्ण एवं क्षतिग्रस्त पी0वी0सी0 जलापूर्ति पाईप लाईन के स्थान पर नई एम0एस0 पाईप लाईन बिछाने का कार्य।	54.27	09.27
8	तदैव	लखनऊ	राजभवन परिसर स्थित जी0एस0 आवास कार्यालय में परिवर्तन के अन्तर्गत पुन: विद्युतीकरण, एल0टी0 पैनल, अग्निशमन प्रणाली, वातानुकूलन संयंत्र एवं मुख्य लाईन टेलीफोन केबिल लेईंग तथा लिफ्ट स्थापना का कार्य।	253.09	15.62
			योग :-	**629.18**	**84.71**

1- प्रश्नगत कार्य हेतु लो0नि0वि0 चयनित कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करेगी।

2- प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व वित्तीय नियम संग्रह भाग-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

3- लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित कराया जायेगा तथा सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण हो जाय।

4- प्रश्नगत स्वीकृति परिव्यय के अन्तर्गत ही निर्गत की जायेगी।

5- स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक, डाकघर, डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

6- स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

7- प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

8- यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है।

9- उक्त धनराशि का व्यय/उपकरणों आदि का क्रय स्टोर परचेज रूल्स एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों व समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

10- प्रायोजना में मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी/सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

11- अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही जमा की जायेगी। निर्माण कार्य की अवशेष लागत पर अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त(लेखा) अनु0-2 के शासनादेश सं0-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दि0 25.01.2011 के साथ पठित शासनादेश सं0-ए-2-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11.11.2014 द्वारा जारी विस्तृत दिशा-निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा उक्त शासनादेश दिनांक 25.01.2011 के संलग्नक में प्रदर्शित सम्बन्धित विभाग के प्राप्ति लेखाशीर्ष में ट्रांसफर इन्ट्री द्वारा क्रेडिट किया जायेगा।

12- प्रश्नगत कार्य हेतु प्रस्तावानुसार आंकलित लागत में लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

..../03..

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

13- स्वीकृत कार्य में प्रस्तावानुसार सम्मिलित मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा करायी जायेगी तथा शासन को अवगत कराया जायेगा।

14- कार्यदायी संस्था द्वारा आगणन में सम्मिलित जी0एस0टी0 की धनराशि वास्तविक रूप से जितनी देय होगी उतनी ही भुगतान की जायेगी।

15- निर्धारित मानकानुसार उपयुक्त भूमि की निर्विवाद रूप से उपलब्धता सुनिश्चित होने पर ही निर्माण कार्य के लिये स्वीकृति जारी की जायेगी।

2- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक अनुदान सं0-55 के अन्तर्गत पूंजीलेखा के लेखाशीर्षक 4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय-80-सामान्य-051-निर्माण-20-राजभवन, लखनऊ परिसर में विभिन्न निर्माण कार्य-00-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0-यू0ओ0-ई-8-1689/दस-2020, दिनांक 15.09.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
डॉ0 चन्द्र भूषण
विशेष सचिव।

संख्या:-54/2020/209आ0(1)/23-5-2020तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ0प्र0।
4- मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, लखनऊ।
5- विशेष कार्याधिकारी, मा0 उप मुख्यमंत्री/मा0 मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
9- अधीक्षण अभियन्ता, 39वां वृत्त, लो0नि0वि0, लखनऊ।
10- अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड-1(सि0), लो0नि0वि0, लखनऊ।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-8/लो0नि0अनु0-10
12- श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।